न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

निर्मला देवी बनाम आतराम आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 80 सन 2021

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
10.06.2021	अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। रेस्पोडेण्ट सख्या 1 द्वारा प्रस्तुत केवियट प्रार्थना–पत्र अपील के साथ सलग्न किया गया। केवियटकर्ता के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया। उभयपक्ष को सुना गया दर्ज रजिस्टर हो। वास्ते आदेश दिनांक 11.06.2021 को पेश हो।	
11.06.2021	पत्रावली स्थगन प्रार्थना–पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई। अपीलाण्ट के अधिवक्ता का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.01.2021 को प्रश्नगत चक 7 जेड डब्ल्यूडी तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 17/18 मे वर्णित 21.250 है0 भूमि मे रेस्पोडेंट के हक व हिस्सा तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया था। पत्रावली में आगामी पेशी 01.06.2021 नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2021 को अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्थगन आदेश में संशोधन किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः इस आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को स्थगित फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 1988 पेज 101, सीसीसी 2009 (1) पेज 707, आरआरडी 2007 पेज 51[illegible] 2008 पेज 763 आरआरटी 2016 (1) पेज 113, आरआरटी [illegible] 2017 [illegible] पेज 522 आरआरटी 2018–2019 (सुप) पेज 509, आरआरटी 2016–17 (सुप) पेज 706, आरआरटी 2014 [illegible] पेज 409, आरआरटी 2014 (1) पेज 265 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:31:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रेस्पोडण्ट संख्या 1/केवियटकर्ता के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आदेश अंतिम आदेश नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि अजनबी व्यक्तियों को बेचने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षाकारों के मध्य वाद की बहुलता न हो इसलिए स्थगन आदेश पारित किया था। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को परेशान करने के लिए अपील पेश की है। अपीलाण्ट स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट का स्थगन प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 744, आरआरडी 2012 पेज 699, आरआरटी 2006 (1) पेज 141, आरआरडी 2010 पेज 96, आरआरटी 2014–15 पेज 96, आरआरटी 2013 (1) पेज 786, आरआरी 2016 (2) पेज 1084, आरआरडी 2016 पेज 580, आरआरडी 2015 पेज 580 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.01.2021 को प्रश्नगत चक 7 जेड डब्ल्यूडी तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 17/18 मे वर्णित 21.250 है0 भूमि मे रेस्पोडेंट के हक व हिस्सा तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया था और पत्रावली में आगामी पेशी 01.06.2021 नियत थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2021 को ही अपीलाण्ट को कोई नोटिस दिये बिना अर्थात सुनवाई का अवसर दिये बिना स्थगन आदेश में संशोधन किया है जो विधि विरूद्ध है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 2007 पेज 515 [illegible] 198 पेज 101 एवं सीसीसी 2009 (1) पेज 707 में [illegible] प्रतिपादित किया गया है कि जब [illegible] आ चुका हो तो किसी स्थगन आदेश मे परिवर्तन या उस आदेश को रिकॉल करने से पूर्व विपक्षी को सूचित करना व सुनवाई का अवसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:31:52 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

देना आवश्यक है। अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में संशोधन अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के प्रकरण सख्या 9/2021 अनवानी आत्माराम बनाम राधाकृष्ण में पारित आदेश दिनांक 25.05.2021 को निरस्त किया जाता है। इस निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ भिजवाया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11.6.21

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:31:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner